नेगेटिव प्रॉडक्टों पर शिकंजा आवश्यक है

देश में डायरेक्ट सेलिंग को बचाने के लिए एफडीएसए की मुहिम

डायरेक्ट सेलिंग गाइड लाइन्स जल्द ही आने वाली हैं। इस प्रकार उद्योग को एक परिभाषा मिलेगी और उद्योग की पहचान न होने के संकट से मुक्ति मिलेगी। गाइड लाइन्स जारी होने के बाद सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करके भारत में एक अनुशासित डायरेक्ट सेलिंग की मिसाल बनानी होगी और 90 दिन के भीतर गाइड लाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

भारत में डायरेक्ट सेलिंग कारोबार करने लिए भय मुक्त वातावरण बनाने का समय आ गया है। यह तो तय है कि डायरेक्ट सेलिंग की एसोसिएशनें अपनी मेंबर कंपनियों को गाइड लाइन्स का पालन करने पर बाध्य करेंगी, लेकिन सवाल उन कई अन्य लोगों का है जो अनैतिक गतिविधियों में लिप्त हैं और मनी सर्कुलेशन स्कीम से आम जनता को ठग रहे हैं। उन पर निगरानी की जरूरत है और उनकी जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को कड़ी कार्रवाई करने के लिए सौंप देने की जरूरत है।

यह जिम्मेदारी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशनों की है।

पिछले डेढ़ दशक से भारत में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग उन अनैतिक काम करने वालों का दंश झेल रहा है जो बिना बिक्री या खरीद किए डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर पैसा बटोर रहे हैं। उनके कुकर्मों की वजह से सही काम करने वाली डायरेक्ट सेलिंग कम्पनियों ने बेहिसाब नुकसान उठाया है ।

ऐसे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बदनाम कर दिया है जिससे सही काम करने वाली वे सभी डायरेक्ट सेलिंग कम्पनियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं जो प्रॉडक्ट बेचते हैं, सभी प्रकार के रजिस्ट्रेशनों के साथ बिजनेस करते हैं और सरकार को 100 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करते हैं।

अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एफडीएसए ने उद्योग की पहचान के संकट को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों, कम्पनियों और एसोसिएशनों के संयुक्त प्रयास से इस समस्या को एक मिशन का रूप दे कर सफलतापूर्वक काबू पाया जा सका है। काम अभी समाप्त नहीं हुआ है। उद्योग की सफाई और अनैतिक स्कीमों से गरीब लोगों को बचाने की एक बड़ी चुनौती सामने है। डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में गलत काम करके उद्योग को बदनाम करने वालों के उन्मूलन के लिए उसी प्रकार का एक अभियान शुरू किया जाएगा जैसा कि उद्योग की पहचान स्थापित करने के लिए मिशन चलाया गया है।

सावधान!! हर चमकती चीज सोना नहीं होती

पिछले 15 साल के कारोबारी माहौल को खंगालने से पता चलता है कि अनैतिक काम करने वाली कम्पनियों ने सामने प्रकाशित सूची में दर्शाए गए प्रॉडक्टों या सर्विस की श्रेणी के साथ डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन स्कीमें चलाई हैं। इस लिस्ट के प्रॉडक्ट ही हमारी सभी परेशानियों और दुर्दशा का कारण हैं। यह जानकारी अधिकारियों, सरकार और अन्य संगठनों को भी बताई गई है। यहां पर आम जनता को जागरूकता बनाने के लिए इस लिस्ट को प्रकाशित किया जा रहा है।

बांग्लादेश में मात्र एक कंपनी द्वारा कारोबारी माहौल खराब किया गया था। इस पहले ही उदाहरण पर, सरकार ने कड़े सुधार की कार्रवाई की और बिगड़ते हुए हालात सम्भाल लिए। हमारे देश में उपरलिखित सूची के खिलाफ इस तरह की तेज कार्रवाई की जरूरत है।

हम मानते हैं कि जब गाइड लाइन्स एक एक्ट में परिवर्तित हो जाएंगी, तो इस लिस्ट से कारगर तरीके से तरीके से निपटा जा सकेगा। लेकिन तब तक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग हाथ–पर–हाथ धरे नहीं बैठ सकता। एफडीएसए के मंच से आम जनता को जानकारी/शिक्षा के प्रसार के लिए शक्तिशाली मिशन शुरू होगा और प्रकाशित लिस्ट वाली कम्पनियों से दूर रहने और जनता को इस तरह के लोगों की बात न सुनने की और उनके झांसे में न आने की सलाह दी जाएगी। यदि आम जनता ऐसे लोगों पास नहीं जाएगी तो अवैध काम करने वाले अपने आप ही उद्योग से बाहर हो जाएंगे।

वर्तमान समय एकजुट होकर मिशन में नैतिकता से काम करने वाले नए लोगों को लाने का है ताकि मिशन को उद्योग की सफाई से पहले रुकने न दिया जाए। हमें दिखा देना है कि डायरेक्ट सेलिंग उद्योग भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकता है। अगले फोकस में हम मनी सर्कुलेशन जैसे राक्षस के खिलाफ प्रत्येक डायरेक्ट सेलर को एक शिक्षक बनाएंगे ताकि मिशन को बड़े पैमाने पर फैलाया जा सके और हमारा महान उद्योग तमाम साधनहीन लोगों के जीने का सहारा बना रहे। यही हमारा संकल्प है – अगला फोकस है।

नेगेटिव प्रॉडक्टों की लिस्ट

1. नकद जमा/इन्वेस्टमेंट्स जैसे वित्तीय उत्पादों के रूप में/स्टॉक्स, डिबेंचर, वर्चुअल करेंसी, प्रेफरेंशियल शेयर, विदेशी मुद्रा व्यापार, प्लांटेशन, खेती, बुनियादी ढांचा प्रॉजेक्ट्स, रिसॉर्ट्स, जीवित पशु पक्षियों के स्टॉक, चिकन, ईमू आदि, पशु (खरगोश, बकरी, गाय, भैंस आदि), रियल एस्टेट आदि।
2. आईआरडीए सर्टिफाईड एजेंटों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली जीवन बीमा पॉलिसी।
3. डिस्काउंट कूपन/डिस्काउंट वाउचर/डिस्काउंट कार्ड आदि।
4. बिट क्वाइंस/क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स प्रॉडक्ट, शेयर, डिबेन्चर, आवश्यक वस्तुओं की बिक्री एवं बिक्री की पेशकश।
6. वेबसाइटों/वेब स्पेस, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन ट्रेनिंग आदि।
7. क्लिक करने के लिए, सर्वे के लिए, विज्ञापन देखने के लिए, एसएमएस और ईमेल प्राप्त करने के लिए भुगतान।
8. ट्रैवेल कूपन या ट्रैवेल वाउचर या हॉली डे वाउचर्स की तरह टाइम शेयर सर्विस।
9. गिफ्ट देने/हेल्प करने/दान या धन देने जैसी फण्डिंग योजनाएं जहां धन के लेन–देन के साथ कोई बिक्री कार्यवाही व बिलिंग नहीं है।
10. ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडिया सदस्यता/वर्गीकृत विज्ञापन की खरीद–फरोख्त आदि।
11. ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज बैनिंग एक्ट 1954 के अंतर्गत आने वाले उत्पाद या चमत्कारिक उपचार सेवाएं।
12. यंत्र–मंत्र–तंत्र के चमत्कारिक उत्पाद।